

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,  
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2014

विषय जनपद लखनऊ में वर्ष 2013-14 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना /मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का धनावंटन।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-129/सी0आर0ए0(आपदा)/2013, दिनांक 10-09-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में वर्ष 2013-14 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना /मरम्मत हेतु जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित लो0नि0विभाग, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत 36 कार्यो/परियोजनाओं हेतु जिनकी कुल लागत ₹0 5,41,37,000/- है एवं जो ₹0 50.00 लाख से अनधिक तक की हैं। मांगी गयी/आंकलित कुल धनराशि ₹0 5,41,37,000/- के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 2,70,68,500/- ( रुपये दो करोड सत्तर लाख अड़सठ हजार पोंच सौ मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने का शासनादेश संख्या-3379/1-10-2013, दिनांक 08.11.2013 द्वारा अनुमति/स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उक्त शासनादेश के क्रमांक संख्या-22 पर लखनऊ सुल्तानपुर से सलेमपुर मार्ग के आगणन ₹0 18.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस शासनादेश के क्रमांक-22 पर अंकित लखनऊ सुल्तानपुर से सलेमपुर मार्ग के स्थान पर लखनऊ सुल्तानपुर से सलेमपुर मार्ग के आवादी भाग में जलभराव होने के कारण क्षतिग्रस्त नाली के निर्माण पड़ा जाय।

3- उक्त सीमा तक पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 08.11.2013 संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या-3746(11)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, 30प्र0 शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 4- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।
- 6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, 30प्र0 शासन ।
- 7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
- 8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, 30प्र0।
- 9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी लखनऊ ।
- 10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

17/1/14

(अनिल कुमार बाजपेई)

उप सचिव।